

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
पीतासीन अधिकारी - सुमन देवी II, अररसर

राजस्थान चक्र सं. - 116/2023

जीसीएमएस नम्बर - 2023/458

1. रामचन्द्र पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी पंचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू सजठ
2. जालचन्द्र पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी पंचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू सजठ

_____ वकील

बनाम

1. गुलाब पत्नी अमरसिंह जाति अहीर निवासी ढाणो रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू सजठ
2. ईश्वर
3. हवासिंह पुत्र अमरसिंह
4. चर्मिला
5. शर्मिला पुत्रीयान
6. धर्मपाल
7. समोतार पुत्र अमीलाल विधा इन्द्र मन्जु पुत्रीयान अमीलाल जाति अहीर निवासी ढाणो रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू सजठ
11. मीखासम पुत्र ताराचन्द्र
12. राजपाल पुत्र रामस्वरूप
13. राजसिंह पुत्र विशम्बर
14. रामनिवास पुत्र ताराचन्द्र
15. सरोज पुत्री विशम्बर
16. हवासिंह पुत्र विशम्बर
17. मनपाल
18. शीशराम
19. कृष्ण कुमार पुत्र अर्जुन
20. मणी
21. सुमना पुत्रीयान अर्जुन
22. कमला पत्नी छाजुराम
23. गिन्दो पत्नी भूरासम




अधिकारी
जिला झुंझुनू (राज.)

24. संतोष पत्नी कंवर सिंह
25. उम्मेद पुत्र कंवर सिंह
26. सुतन पुत्री कंवर सिंह
27. बनवारी लाल पुत्र बुधर
28. राजेन्द्र
29. धर्मपाल पुत्रान जीता नवीरा बला
30. संतरा पुत्री जीता
31. बस्तीराम पुत्र बुधर
32. किशन लाल
33. नफेसिंह
34. विक्रम पुत्रान बीरबल
35. कैलाश
36. मंजू पुत्रीयान बीरबल
37. लाजवन्ती पत्नी अभय सिंह
38. आशीष पुत्र अभय सिंह नवीरा बीरबल
39. ज्यानवी पुत्री अभय सिंह
40. राकेश पुत्र भूराराम
41. राजकुमार पुत्र छाजुराम
42. राजेश पुत्र भूराराम
43. बनारसी पत्नी श्योकरण
44. रामसिंह
45. शेर सिंह पुत्रान श्योकरण
46. रोशन
47. चमेली पुत्रीयान श्योकरण
48. प्रभात
49. सत्यनारायण पुत्रान सुलतान
50. हनुमान पुत्र छाजु
51. जगमाल पुत्र हरनारायण
52. सुरेश पुत्री ओमप्रकाश नवीरा हरनारायण
53. चालवी पत्नी ओमप्रकाश
54. कमला पत्नी यादराम
55. नरेन्द्र पुत्र यादराम नवीरा हरनारायण
56. प्रेम पुत्री यादराम समस्त जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
57. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.



.....प्रतिवादीगण


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

दावा बाबत:- खाता विभाजन

-:निर्णय:-

दिनांक:- 25/3/2025

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित खाता सं0 144 के ख0 न0 627 रकबा 0.20 है0, ख0 न0 629 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 630 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 797 रकबा 0.63 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 है0, में वादीगण का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 16 अथवा उनके हकपूर्वाधिकारियों का हिस्सा हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 में दर्ज है।
2. यह कि वाके ग्राम रामसर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 64 के ख0 न0 803 रकबा 0.72 है0, ख0 न0 806 रकबा 0.65 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.37 है0, में वादीगण का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 16 अथवा उनके हकपूर्वाधिकारियों का हिस्सा हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 में दर्ज है।
3. यह कि वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 117 के ख0 न0 306 रकबा 0.30 है0, ख0 न0 309 रकबा 0.31 है0, ख0 न0 76 रकबा 0.23 है0, ख0 न0 77 रकबा 0.23 है0, ख0 न0 78 रकबा 0.77 है0, ख0 न0 79 रकबा 0.39 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.23 है0, में वादीगण का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा दर्ज है तथा प्रति सं0 1 लगा0 16 अथवा उनके हकपूर्वाधिकारियों का हिस्सा हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 में दर्ज है।
4. यह कि वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 70 के ख0 न0 384 रकबा 0.59 है0, में वादीगण का प्रत्येक का 1/32, 1/32 हिस्सा दर्ज है तथा प्रति सं0 1 लगा0 56 अथवा उनके हकपूर्वाधिकारियों का हिस्सा हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 में दर्ज है।
5. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं0 1 लगा0 4 में वर्णित भूमि का मौके पर खातेदारों कास्तकारों ने मौके पर अच्छी बुरी के अनुपात में बाहमी बटवारा कर रखा है तथा बाहमी बटवारे के अनुसार मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज कास्त चले आ रहे हैं। लेकिन बाहमी बटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विधिक विभाजन नहीं हुआ है जिसके लिए उक्त खाता विभाजन पेश किया जा रहा है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-




उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

कि वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0 स्थित भूमि खाता सं0 144 के ख0 न0 627 रकबा 0.20 है0, ख0 न0 629 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 630 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 797 रकबा 0.63 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 है0, में वादीगण का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा व वाके ग्राम रामसर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 64 के ख0 न0 803 रकबा 0.72 है0, ख0 न0 806 रकबा 0.65 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.37 है0, में वादीगण का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा व वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 117 के ख0 न0 306 रकबा 0.30 है0, ख0 न0 309 रकबा 0.31 है0, ख0 न0 76 रकबा 0.23 है0, ख0 न0 77 रकबा 0.23 है0, ख0 न0 78 रकबा 0.77 है0, ख0 न0 79 रकबा 0.39 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.23 है0, में वादीगण का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा व ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 70 के ख0 न0 384 रकबा 0.59 है0, में वादीगण का प्रत्येक का 1/32, 1/32 हिस्सा को बाहमी बटवारे के अनुसार वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि का खाता विभाजन कर वादीगण के नाम से अलग से राजस्व रिकार्ड कायम किया जाकर लगान अलग से निर्धारित किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 56 की और से श्री राजेश यादव व अनुप सिंह यादव एडवोकेट द्वारा वकालतानामा व इकबालीया जवाब पेश कर निवेदन किया व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.06.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 238 दिनांक 24.06.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2085 दिनांक 14.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

बहस के अनुसार शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम पचेरी खुर्द स्थित भूमि हाल खाता संख्या 144 व वाके ग्राम रामसर के खाता संख्या 64 तथा वाके ग्राम अलीपुर के खाता संख्या 70 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्राया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुझुनू (राज.)

-:आदेश:-

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि खाता सं0 144 के ख0 न0 627 रकबा 0.20 है0, ख0 न0 629 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 630 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 797 रकबा 0.63 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 है0, व वाके ग्राम रामसर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 64 के ख0 न0 803 रकबा 0.72 है0, ख0 न0 806 रकबा 0.65 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.37 है0, व वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 117 के ख0 न0 306 रकबा 0.30 है0, ख0 न0 309 रकबा 0.31 है0, ख0 न0 76 रकबा 0.23 है0, ख0 न0 77 रकबा 0.23 है0, ख0 न0 78 रकबा 0.77 है0, ख0 न0 79 रकबा 0.39 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.23 है0, व ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 70 के ख0 न0 384 रकबा 0.59 है0, को बाहमी बटवारे के अनुसार वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-12" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-3" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-12" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-3" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-12" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-3" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज0) एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 25/3/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमेन्द्र देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज0) एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना



मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

जीसीएमएस नम्बर :- 2023/458

पीठासीन अधिकारी:-

राजस्व वाद सं.- 116/2023

रामचन्द्र बनाम गुलाब आदि

दावा बाबत- खाता विभाजन

:-निर्णय:-

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद एडवोकेट की एवं प्रतिवादी सं. 1 लगात 56 की और से श्री राजेश यादव एड की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि खाता सं0 144 के ख0 न0 627 रकबा 0.20 है0, ख0 न0 629 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 630 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 797 रकबा 0.63 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 है0, व वाके ग्राम रामसर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 64 के ख0 न0 803 रकबा 0.72 है0, ख0 न0 806 रकबा 0.65 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.37 है0, व वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 117 के ख0 न0 306 रकबा 0.30 है0, ख0 न0 309 रकबा 0.31 है0, ख0 न0 76 रकबा 0.23 है0, ख0 न0 77 रकबा 0.23 है0, ख0 न0 78 रकबा 0.77 है0, ख0 न0 79 रकबा 0.39 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.23 है0, व ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 70 के ख0 न0 384 रकबा 0.59 है0, को बाहमी बटवारे के अनुसार वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-12" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-3" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-12" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-3" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-12" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-3" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

यह आज तारीख 25/3/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनू (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना